तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती बिमलादेवी बनाम सरकार जरिये तहसीलदार** **409/18 (जीसीएमएस नं. 2018/00402)**	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की तामी जारी हुए
01.09.21	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुति के समय तत्कालीन परिस्थितयों में न्यायालय में आने–जाने की परेशानी के बचने हेतु अपने परिचित बलवान सिंह के जरिये अपील प्रस्तुत की गई थी किन्तु बलवान सिंह द्वारा प्रकरण की सही पैरवी नही की गई है, हमारे साथ छल–कपट किया गया है जिन परिस्थितिवंश अपीलार्थीगण उक्त अपील को आगे प्रोसिड नही करना चाहते है एवं उक्त अपील में आगे कोई कार्यवाही नही चाहने के कारण अपील को इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहते है। उन्होने यह भी कथन किया है कि बलवान सिह को अपील में पैरवी नही करने बाबत सूचना व नोटिस दिया जा चुका है, अपील अपीलार्थी के साम्पतिक व विधिक हक, अधिकारों का निर्धारण होना है जिस सम्बन्ध में नये सिरे से अपील प्रस्तुत के सम्बन्ध में अधिकार सुरक्षित रखते हुए अपील विड्रा की जा रही है, प्रकरण की प्रस्तुति के मद्देनजर नई अपील प्रस्तुति की स्वतंत्रा क साथ अपील विड्रा किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण को नये सिरे से अपील प्रस्तुति के सम्बन्ध में अधिकार सुरक्षित रखते हुए अपील विड्रा की अनुमति दी जाने व अपील को इसी स्टेज पर निस्तारित करने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट स्वयं ही अपनी इस हस्तगत अपील को विड्रो करना चाह रहे है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रा किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त	